

न्यायालय— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ जिला राजगढ़ म0प्र0
जमानत आवेदन क्र. 202/2026
थाना खिलचीपुर का अपराध क्रमांक 90/2026

नाम पक्षकार—

रोड़मल उर्फ रोड़जी पिता देवीलाल दांगी,
उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम दौलाज जिला
राजगढ़

..... आवेदक / अभियुक्त

॥ विरुद्ध ॥

म0प्र0राज्य द्वारा

थाना खिलचीपुर, जिला राजगढ़

..... अनावेदक / राज्य

अंतर्गत धारा— 483 बीएनएस संहिता, 2023

// आदेश दिनांक 06/05/2026 की सत्यापित प्रतिलिपि //

-----000-----

आवेदक/आरोपी रोड़मल उर्फ रोड़जी की ओर से श्री आफताबजमील खान अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री विजयसिंह सिसौदिया लोक अभियोजक उपस्थित।

आपत्तिकर्ता लखन दांगी की ओर से श्री सुदर्शन नागर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित आपत्ति पेश की, जिसकी नकल आवेदक अधिवक्ता को दी गई।

पुलिस थाना **खिलचीपुर** से अपराध क्रमांक **90/2026** अंतर्गत धारा 108, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उन्हें नवीन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वर्तमान आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

निवेदन स्वीकार किया गया।

जमानत आवेदन वापस लेने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

आवेदक विधि अनुसार नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित संबंधित थाने की ओर सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश की प्रतिलिपि सी.आई.एस. पर अपलोड की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर प्रकरण से संबंधित पत्रावली अभिलेखागार में नियमानुसार जमा हो।

(डॉ. लखनलाल गोस्वामी)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

राजगढ़ जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश